## <u>न्यायालयः—सिराज अली,न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,बैहर</u> <u>जिला बालाघाट (म.प्र.)</u>

<u>आप.प्रक.कमांक—35 / 06</u> संस्थित दिनांक 23.01.2006

म.प्र. राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर, जिला–बालाघाट – – – – – – अभियोजन –// **विरूद्ध** //–

- सुग्रीवदास पिता अरविन्द दास, उम्र 40 वर्ष, जाति पनिका निवासी केवलारी, थाना बैहर, जिला बालाघाट.
- अंकुरदास पिता अरविन्द दास उम्र 60 वर्ष, जाति पनिका निवासी केवलारी, थाना बैहर, जिला बालाघाट
- 3. भागवतीबाई पति सुग्रीवदास, उम्र 32 वर्ष, जाति पनिका निवासी केवलारी, थाना बैहर, जिला बालाघाट,

- 1— आरोपीगण के विरूद्ध धारा 325/34 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत यह आरोप है कि उन्होंने दिनांक 29.10.2005 व दिनांक 30.10.2005 की रात्रि करीब 9:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम केवलारी में आहत लीलाबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत लीलाबाई को हाथ—मुक्कों से मारकर व उठाकर पटककर स्वेच्छया घोर उपहित कारित किया।
- 2— अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 29.12. 2005 को प्रार्थिया लीलाबाई अपनी नानी के गांव मोहगांव से उसके पति आरोपी सुग्रीवदास के घर वापस आई तो आरोपी सुग्रीवदास ने प्रार्थिया से उसके बच्चे न होने और दूसरी शादी करने की बात कहते हुए उसे गाली—गुफ्तार किया एवं पटक—पटक कर मारपीट किया। दिनांक 30.12.2005 को रात्रि 9:00 को आरोपी सुग्रीवदास, उसके जेठ अंकुरदास व सुग्रीवदास की दूसरी पत्नी भगवती बाई ने

मिलकर उससे गाली—गुफ्तार कर उसके साथ मारपीट की। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी/आहत लीलाबाई ने थाना बैहर में दर्ज करायी, जिस पर पुलिस ने आहत का मेडिकल परीक्षण कराया तथा मेडिकल रिपोर्ट एवं फरियादी की उक्त रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरुद्ध अपराध कमांक 06/06 धारा 325/34 भा.द.वि. अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गयी। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान घटनास्थल का मौका नक्शा बनाया गया, गवाहों के बयान लिये गये, आरोपीगण को गिरफ्तार कर विवेचना उपरांत उसके विरुद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपीगण के विरूद्ध धारा 325/34 भा.द.वि. के अंतर्गत आरोप पत्र विरचित किये जाने पर आरोपीगण के द्वारा अपराध अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। आरोपीगण के द्वारा धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना कहकर झूटा फंसाया होना बताया गया।

## 4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 29.10.2005 व दिनांक 30.10.2005 की रात्रि करीब 9:00 बजे थाना बैहर अंतर्गत ग्राम केवलारी में आहत लीलाबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय निर्मित कर उसके अग्रसरण में आहत लीलाबाई को हाथ—मुक्कों से मारकर व उठाकर पटककर स्वेच्छया घोर उपहित कारित किया ?

## विचारणीय बिन्दु पर सकारण निष्कर्ष :-

5— फरियादी / आहत लीलाबाई टांडिया (अ.सा.६) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये है कि आरोपी सुग्रीव उसका पित है एवं अंकुरदास उसका जेठ है और आरोपी भगवती उसके पित की दूसरी पत्नी है। घटना लगभग ६ वर्ष पूर्व 30 दिसम्बर की रात की ग्राम केवलारी में आरोपी के घर की है। दिनांक 29.10.2005 को उसका आरोपी सुग्रीव के साथ वाद—विवाद एवं झंझट हुई थी। दिनांक 30.09.2005 को आरोपी सुग्रीव शराब पीकर आया कहने

लगा कि मै दूसरी औरत बनाउंगा, तो उसने कहा कि तुम पहले ही दूसरी औरत ले आए हो तो इसी बात पर आरोपी सुग्रीव उसे गंदी—गंदी गालियां देते हुए हाथ—मुक्को से मार कर पटक दिया, जिससे उसकी पसली में चोट आई और वह बेहोश जैसी हो गई। सभी आरोपीगण उसे गंदी—गंदी गालियां दे रहे थे और उसे घर से निकालने लगे, किन्तु रात होने के कारण वह वहीं पड़ी रही। फिर दूसरे दिन वह बड़ी मुश्किल से बस में बैठकर बैहर थाना आई और आरोपीगण के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिसवालों ने उसकी निशानदेही पर घटनास्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी—5 बनाया था और पूछताछ कर बयान लिये थे।

- 6— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी सुग्रीव ने दिनांक 29 दिसम्बर को मारपीट नहीं की थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि आरोपी सुग्रीव ने उसे गंदी—गंदी गाली नहीं दी और कोई धमकी भी नहीं दी। साक्षी ने इस सुझाव से भी इंकार किया है कि आरोपी सुग्रीव के द्वारा मारपीट नहीं की गई थी। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि उसे दरवाजे की चौखट पर गिरने से चोट आई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी अंकुरदास अलग मकान में रहता है। इस प्रकार साक्षी के कथन से यह तथ्य प्रकट होता है कि आरोपी सुग्रीव ने दिनांक 30 दिसम्बर को आहत लीला के साथ मारपीट कर उसे उपहित कारित की थी, जिसका खण्डन बचाव पक्ष की ओर से उसकी साक्ष्य में नहीं किया गया है।
- 7— उक्त साक्षी ने अपनी साक्ष्य में अन्य आरोपीगण अंकुरदास एवं भागवती बाई के द्वारा उसे मारपीट किये जाने अथवा उक्त मारपीट में आरोपी सुग्रीवदास का सहयोग किये जाने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं।
- 8— अगनुदास (अ.सा.1) एवं सुकरीतदास (अ.सा.3) ने अपने मुख्यपरीक्षण में कथन किये हैं कि वह आरोपीगण को जानते हैं, किन्तु घटना के संबंध में उन्हें कोई जानकारी नहीं है। इन साक्षीगण को अभियोजन की ओर से पक्षविरोधी घोषित किये जाने पर भी उन्होंने अपनी साक्ष्य में अभियोजन मामले का किसी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन की ओर से

प्रस्तुत चक्षुदर्शी साक्षीगण ने अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में समर्थन नहीं किया है।

डॉक्टर आर.के. चतुर्वेदी (अ.सा.२) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि वह दिनांक 31.12.2005 को चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को आरक्षक चंद्रप्रकाश क्रमांक-624 थाना बैहर द्वारा आहत श्रीमती लीलाबाई पति सुग्रीवदास को उसके समक्ष परीक्षण हेतु लाया गया था। जिसके परीक्षण करने पर उसने आहत के बांए घुटने में लाल-नीले रंग की मुंदी हुई चोटे पाई थी और आहत का एक्सरे लिया गया था जिसमे आहत की दूसरी और तीसरी पसली में अस्थिभंग होना पाया था। आहत की एक्सरे प्लेट नंबर–625 है, जो आर्टिकल ए–1 है एवं एक्सरे रिपोर्ट प्रदर्श पी–2 है जिस पर उसके हरताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त चोट आहत् को किसी कड़ी वस्तु पर गिरने से आ सकती है। इस प्रकार उक्त चिकित्सीय साक्षी की साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि घटना के समय आहत लीलाबाई को पसलियों में अस्थिभंग होने से घोर उपहति कारित हुई थी। अनुसंधानकर्ता अधिकारी राजकुमार सिंह (अ.सा.५) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किये हैं कि वह दिनांक-14.01.2006 को प्रधान आरक्षक के पद पर थाना बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसने अपराध क्रमांक-6/06 में अनुसंधान के दौरान प्रदर्श पी-5 का मौकानक्शा बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसके द्वारा साक्षी लीलाबाई, अगनूदास, सुग्रीवदास के कथन बताए अनुसार लेख किया था, जिसका कोई भाग छोड़ा नहीं था। उसने आरोपीगण को गिरफ्तार कर प्रदर्श पी-6, 7 एवं 8 का गिरफ्तारी पंचनामा तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने समर्थनकारी साक्ष्य के रूप में प्रकरण में की गई अनुसंधान कार्यवाही को प्रमाणित किया है।

11— प्राथमिकी दर्ज करने वाले साक्षी श्यामप्रसाद गायधने (अ.सा.4) ने मुख्यपरीक्षण में कथन किये है कि वह बैहर थाने से रोजनामचा पंजी दिनांक 26.12.2005 से दिनांक 08.01.2006 तक का साथ लेकर आया है। दिनांक 31. 12.2005 को वह थाना बैहर में प्रधान आरक्षक / लेखक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर में प्रार्थी लीलाबाई ने आकर मौखिक रिपोर्ट आरोपीगण के विरुद्ध इस बाबत् लेख कराई थी कि आरोपीगण ने उसके साथ पटककर मारपीट, गाली—गुफ्तार एवं घर से निकल जाने कहा था। उक्त आधार पर उसने सान्हा कमांक—1375 पर दिनांक 31.12.2005 को लेख किया गया था जो प्रदर्श पी—3 है और उसकी कार्बन प्रति प्रदर्श पी— 3 सी है। उसने आहत का मुलाहिजा कराने के पश्चात् आहत की पसली में फेक्चर होने से आरोपीगण के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—4 लेख की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। इस प्रकार साक्षी ने मामले में फरियादी के बताए अनुसार तथा उसकी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में समर्थनकारी साक्ष्य पेश की है।

प्रकरण में अभियोजन की ओर से केवल फरियादी लीलाबाई (अ. 12-सा.6) के द्वारा ही अभियोजन का समर्थन किया गया है, किन्तु शेष महत्वपूर्ण साक्षीगण अगनुदास (अ.सा.1) एवं सुकरीतदास (अ.सा.3) ने चक्षुदर्शी साक्षी के रूप में अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। अभियोजन का समर्थन करने वाली एकमात्र साक्षी फरियादी लीलाबाई (अ.सा.६) की साक्ष्य का मूल्यांकन किये जाने पर यह तथ्य प्रकट होता है कि घटना के समय आरोपी सुग्रीवदास ने फरियादी लीलाबाई से विवाहित होते हुए दूसरी पत्नी लाने पर से विवाद हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी सुग्रीवदास ने उसे मारपीट कर चोट पहुंचाई थी। फरियादी लीलाबाई ने घटना के पश्चात् युक्तियुक्त समय में थाना बैहर में उक्त घटना की सूचना दी जिस पर पुलिस द्वारा उसका मेडिकल परीक्षण करवाकर उसे अस्थिमंग कारित होने की रिपोर्ट के आधार पर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की

गई। फरियादी लीलाबाई (अ.सा.६) ने अपनी साक्ष्य में प्रथम सूचना रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किया है तथा उसके कथन में महत्वपूर्ण विरोधाभास होना प्रकट नहीं होता है। इस कारण उक्त साक्षी के कथन पर अविश्वास किये जाने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। अभियोजन की ओर से उक्त एकमात्र साक्षी के कथन से ही संदेह से परे यह तथ्य प्रमाणित होता है कि आरोपी सुग्रीवदास के द्वारा आहत लीलाबाई को मारपीट कर उसे पसली में अस्थिभंग कर घोर उपहित कारित की गई थी।

14— प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपी सुग्रीवदास के द्वारा घटना के समय आहत लीलाबाई को मारपीट करते समय उक्त आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त मारपीट से निश्चित रूप से आहत को घोर उपहित कारित होगी। आरोपी सुग्रीवदास के द्वारा आहत लीलाबाई को मारपीट करने से उसके पसलियों में अस्थिमंग कारित हुई। इस प्रकार आरोपी सुग्रीवदास के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया घोर उपहित की श्रेणी में आता है। आरोपी सुग्रीवदास के द्वारा करने की श्रेणी में आता है। आरोपी सुग्रीवदास के द्वारा करने की श्रेणी में आता है।

15— बचाव पक्ष की ओर से आहत लीलाबाई (अ.सा.६) के प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के समय उसने आरोपी सुग्रीवदास को गंभीर व अचानक प्रकोपन दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी सुग्रीवदास के द्वारा उक्त उपहित कारित की गई। प्रकरण में प्रस्तुत साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट नहीं होता है कि आरोपी सुग्रीवदास को घटना के समय गंभीर एवं अचानक प्रकोपन प्राप्त हुआ था, जिस कारण उसने आहत लीलाबाई को स्वेच्छया घोर उपहित कारित की। इस प्रकार आरोपी सुग्रीवदास को धारा 335 भा.द.वि. के उपबंध के अंतर्गत आपवादिक परिस्थिति का लाभ प्राप्त नहीं होता।

16— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपीगण अंकुरदास एवं भागवती बाई के द्वारा आहत लीलाबाई को किसी प्रकार की मारपीट की थी या आरोपी सुग्रीवदास का लीलाबाई को मारपीट करने में कोई सहयोग प्रदान किया गया था। अभियोजन ने इस तथ्य को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित किया है कि आरोपी सुग्रीवदास द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में आहत लीलाबाई को मारपीट कर उसकी पसलियों में अस्थिभंग कर उसे स्वेच्छया घोर उपहित कारित किया। फलस्वरूप आरोपीगण अंकुरदास एवं भागवतीबाई को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—325/34 के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है तथा आरोपी सुग्रीवदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—325 अंतर्गत दोषसिद्व टहराया जाता है।

17— आरोपी सुग्रीवदास को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी सुग्रीवदास को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थिगत किया जाता है।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला—बालाघाट

## पश्चात्-

- 18— आरोपी सुग्रीवदास को दण्ड़ के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी सुग्रीवदास की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उनके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी नहीं है। उसके द्वारा प्रकरण में वर्ष 2006 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहे है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड़ से दण्डित कर छोड़ा जावे।
- 19— मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी सुग्रीवदास को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। आरोपी सुग्रीवदास मामले में वर्ष 2006 से विचारण का सामना कर रहा है, जिसमें वह नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। आरोपी सुग्रीवदास के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धी का भी प्रमाण नहीं है। उक्त परिस्थिति को

आरोपी सुग्रीवदास के दण्डादेश में विचार लिया जा सकता है। अतएव मामले की परिस्थिति व अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी सुग्रीवदास को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-325 के अपराध के अंतर्गत एक वर्ष का कठोर कारावास एवं 500 / —रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया जाता है। आरोपी सुग्रीवदास के द्वारा अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में उसे एक माह का कठोर कारावास पृथक से भुगताया जावे।

आरोपींगण के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते है। 20-प्रकरण में आरोपीगण की न्यायिक अभिरक्षा निरंक है, जिसके 21-संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर, जिला–बालाघाट

्रा.मजि.प्र. जिला—ब। (सिराज अली) न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,